न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 43/2019 निर्णय दिनांकः– 10-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2019/00314)

1. रोशनलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर हाल चक 6 के.डब्ल्यु.एस.एम. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. शांति देवी पत्नी श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर हाल चक 6 के.डब्ल्यु.एम. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजू देवी पत्नी रामकुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर हाल चक 6 के.डब्ल्यु.एम. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
3. कमला देवी पुत्री श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर हाल चक 6 के.डब्ल्यु.एम. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार छतरगढ़।
5. उपपंजीयक छतरगढ़।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2021
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री ब्रजेश मदान, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छरतगढ़ के निर्णय दिनांक 23–09–2019 जिसके द्वारा अपीलांटस का दावा आदेश 7 नियम 11

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के पिता/पति के नाम से तहसील छतरगढ़ के चक 6 के. डब्ल्यु.एस. एम. में मु.नं. 194/37 में कुल 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व मु.न. 214/32 में कुल 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को विरास्तन इंतकाल द्वारा राजस्व रिकोर्ड से प्राप्त हुई तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को 3/8 हिस्सा आया व रेस्पोडेन्ट सं. 2 को 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ इसी प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं 3 को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ जो इंतकाल नं. 5 में दर्ज किया गया है। उक्त विवादित भूमि में अपीलांट ने लाखो रूपये खर्च कर सुधार किया एवं मौके पर अपीलांट ने ढाणी व कुण्ड बनाकर अपने परिवार सहित कृषि भूमि को काश्त कर रिहायश कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हिस्से में आयी भूमि को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग नही कर सकती थी और हक त्याग करना था तो शेष हिस्सेदारो के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर करना होना चाहिये था। इस प्रकार उक्त हक त्याग विलेख को खारिज करवाने एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। दिनांक 13.09.2017 को रेस्पोडेन्टान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में अतंर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलांट का दावा खारिज करने का पेश किया था जिसे दिनांक 30.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर खारिज फरमा दिया की जबाब दावा एवं तन्कीयात और साक्ष्य आने के पश्चात देखा जायेगा। दिनांक 23.09.2019 को पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने राज पैरोकार के जबाब को आधार मानते हुए क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलांट का दावा निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए क्षेत्राधिकार के बिन्दु को निरस्त फरमा दिया गया था इसके बावजूद भी अपने ही आदेश को रिवर्स करते हुए दिनांक 23–09–2019 को मात्र राज्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पैरोकार के जबाब के आधार पर अपीलांट का दावा निरस्त किया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई फाईडिंग नही दी गई है। और किस प्रकार से क्षेत्राधिकार से बाहर है इस संबंध में भी कोई टिप्पणी अंकित नही की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–07–2019 निरस्त फरमाया जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किये कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हक त्याग को निरस्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। उक्त क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है उक्त जवाब में स्पष्टतः उल्लेखित है कि वादग्रस्त प्रकरण हक त्याग को निरस्त करने के संबंध जो माननीय न्यायालय द्वारा संधारण योग्य नही है। इसी आधार पर अपीलांट का दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इसलिए अपीलांट अब अपील के माध्यम से किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2022 पेज 599, आरबीजे 2021 पेज 725 प्रस्तुत किये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा पुनः बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश निर्णय की श्रेणी में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30–07–2019 के द्वारा ही क्षेत्राधिकार संबंध में रेस्पोडेन्ट के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्याायलय को तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र स्टेट के जवाब के आधार पर अपीलांट का दावा ही निरस्त कर दिया।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रस्तुत किया गया था जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्टेट/पैरोकारराज द्वारा **दिनांक 07–02–2019** को जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका **दिनांक 30–07–2019** द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात इस प्रार्थना पत्र (आदेश 7 नियम 11) को खारिज कर दिया गया तथा निर्णय में यह अभिलिखित किया गया कि वाद पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आदेश 7 नियम 11 के सभी प्रावधानो का पालन हुआ है। अतः प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30–07–2019 द्वारा उपरोक्त आदेश दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–2019 का आधार जवाब स्टेट को बनाया गया। जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। जिसमें अतिरिक्त कथन में यह अंकित है कि यह वादगत प्रकरण हक त्याग को निरस्त करने के संबंध में है जो कि इस न्यायालय द्वारा संधारण योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जवाब स्टेट दिनांक 07–02–2019 को प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके पश्चात प्रकरण में आदेशिका दिनांक 30–07–2019 द्वारा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय कर पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार आदेशिका दिनांक 30–07–2019 द्वारा क्षेत्राधिकार/वादहेतुक/विधि द्वारा वर्जन का बिन्दू तय किया जा चुका था तो पुनः उसी बिन्दू पर पूर्व में प्रस्तुत जवाब स्टेट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करना विधि संगत नही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में विवाद का मुख्य बिन्दू यह है कि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये हक त्याग किसी एक वारिस के पक्ष में अपना हिस्से का त्याग किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को इस बिन्दू पर विनिश्चय करना था कि क्या एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारो में से किसी एक विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर सकता है अथवा नही? इस बिन्दू को तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का ही है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि कानूनी तनकी कायम कर जरिये साक्ष्य वाद में पहले इस बिन्दू को निर्धारित करना था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर वाद वादी खारिज कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विधिक त्रुटि कारित की है जो कि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर कानूनी तनकी बनाकर जरिये साक्ष्य सर्वप्रथम इस कानूनी तनकी पर निर्णय पारित करे कि क्या एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारो में से किसी एक विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर सकता है अथवा नही? तदनुसार प्रकरण में विधिक प्रकिया अपनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. निर्णय आज दिनांक 10-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर